

प्रारूप-2

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग -1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण:-

- क) उपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण :- राज्य योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में मरगांव जसपुर चमियारी से उलण मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 9.00 कि०मी० लम्बाई हेतु 4.879 हे० आरक्षित/सिविल वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के बनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। :- संलग्न है।
- ग) परियोजना की लागत :- 113.22 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। :- राज्य योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में मरगांव जसपुर चमियारी से उलण मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 9.00 कि०मी० लम्बाई हेतु 4.879 हे० आरक्षित/सिविल वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) :- 5.00 हे० से कम होने पर लागू नहीं हो रहे है।
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। :-
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार भूमि का विवरण :-
- मार्ग निर्माण में 3.5490 हे० आरक्षित वन भूमि 1.330 हे० सिविल भूमि व नाप भूमि 2.2075 हे० प्रयोग की जायेगी।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। :- उक्त निर्माण कार्य से कोई परिवार प्रभावित नहीं होगा
- क) परिवारों की संख्या :- नहीं है।
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या :- नहीं है।
- ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :- नहीं है।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) :- हाँ
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः पलीकीएर की पचनवद्धता (बचनवद्धता संलग्न की जाये) :- संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरो। :- संलग्न है।

पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

दिनांक

स्थान उत्तरकाशी।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर



नाम अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

मोहर चिन्मालीसौड़ उत्तरकाशी

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग –II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

भाग—

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र उत्तराखण्ड
I
- II) जिला उत्तरकाशी।
- III) वन प्रभाग प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग उत्तरकाशी।
- IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 3.2025 हैक्टेयर वन भूमि
(हैक्टेयर में) 1.330 हे० सिविल लायम
- V) वन की कानूनी स्थिति 0.3465 हैक्टेयर डम्पिंग हेतु वन भूमि
कुल भूमि 4.8790 हे०
- VI) हरियाली का घनत्व
- VII) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की संलग्न है
परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर० एल०- 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।
- VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर भू-क्षरण की सम्भावना नहीं है।
संक्षिप्त टिप्पणी।
- IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
- X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैवमण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का वयौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया। अनुबन्धित की जाए)
- XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। नहीं
- XII) या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या नहीं
- 8 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम -2 में प्रस्तावित वनभूमि आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरे साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। 3.5490 हे० आरक्षित वन भूमि 1.330 हे० सिविल भूमि व नाप भूमि 2.2075 हे० परियोजना के लिए अपरिहार्य/न्यूनतम है।
- 9 क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें। तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। नहीं
कुल भूमि 4.8790 हे० भूमि अपरिहार्य/न्यूनतम है।

- I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र अपि-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी भू खण्डों की संख्या प्रत्येक भू खण्डों की संख्या प्रत्येक भू खण्डों का आकार। संलग्न है।
- II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू खण्डों का आकार। संलग्न है।
- III) आरोपि की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्क्रीम के विवरण कर्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। संलग्न है।
- IV) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार। संलग्न है।
- V) प्रतिपूरक वनीकरण स्क्रीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल
- | | | | | |
|------|---|--------------|----------|---------------------|
| I) | जिला का भौगोलिक क्षेत्र। | निर्माण | खण्ड | लो.नि.वि. |
| II) | जिला का वन क्षेत्र | चिन्यालीसौड। | | |
| III) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। | 801600.00 | हैक्टेयर | |
| IV) | 1980 से जिला/ प्रभाग से निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण | 695983.35 | हैक्टेयर | |
| (क) | दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि | 356 | मामले | 1208-41516 हैक्टेयर |
| (ख) | वनेत्तर भूमि पर अब तक | 381 | | 1241-56066 है |
| V) | प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति | | | |
| (क) | वन भूमि पर | | | |
| (ख) | वनत्तर भूमि पर | | | |
| 13- | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। | | | |

रिक्त
487.50 है
रिक्त

487.50 है

याचक विभाग द्वारा वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु समुचित प्रयास किया जायेगा जनहित में संस्तुति से प्रेषित।

तिथि.....

स्थान: उत्तरकाशी।

हस्ताक्षर:.....

उत्तरकाशी वन प्रभाग

नाम उत्तरकाशी

सरकारी मोहर .